

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

सेवानिवृति आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

निम्नांकित राज्य कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-6 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्रम	कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	DOB DD/MM/YYYY	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृति तिथि
1	DALCHAND SHARMA	GOVT ADARSH GIRLS SEN SEC.SCHOOL NAHARI KA NAKA (08122608104) JAIPUR	COMM	01/10/1959	30/09/2019
2	PRAMILA GAUR	GOVT GIRLS SEN.SEC. SCHOOL SANGANER,JAIPUR (08122703901) JAIPUR	COMM	25/09/1959	30/09/2019
3	RAKESH BHATT	GOVT.SR. SEC. SCHOOL KUSHALGARH (08280823306) BANSWARA	COMM	07/10/1959	31/10/2019
4	BEER SINGH	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL SARDARSHAHAR (08040326205) CHURU	COMM	20/09/1959	30/09/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

वास्तविक सेवानिवृति तिथि से पूर्व किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करें।


(नथमल डिल्ले)

IAS

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 1 जुलाई, 2019

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2019-20
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावायी निधि विभाग,
- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
- सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।
- सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
- सम्बन्धित व्याख्याता
- रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर